17/02/2021

पत्रावली पर 56) वकील पार्टी उपस्थित

पत्रावली हमारा उच्चतम न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में RAA अधिनियम का उल्लंघन है। अतः प्रकरण में अन्वेषण निरस्त होने पर ही हाल न्यायालय के आदेश की पालना की जा सकती है। क्योंकि प्रकरण में कोई अन्तरिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः मेरे कार्यवाही अभी स्टाप पर रोक की जाती है

पत्रावली अग्रिम अनुसार विधि अनुसार मेरे कार्य के लिये नियत करें

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2021.04.09 10:52:05 IST
Reason: SelfAttested

21

Scanned with CamScanner